न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
47 / 2024	07.10.2024	27/8/25

श्रीमती सुनीता मीना पत्नी भगवान सिंह, मीन निवासी नारायणपुर हाल भारमल की ढाणी तहसील तलावडा ——प्रार्थिया

बनाम

रामस्वरूप पुत्र भैरू, मीना निवासी नारायणपुर तहसील तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री गोपेश शर्मा, एड., अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की भूमि हाल ख0न0 969 रकबा 0.60 है0, ख0न0 970 रकबा 0.26 है0 ग्राम टटवाडा मे स्थित है। प्रार्थिया की खातेदारी भूमि के लगवां ही अप्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 971 रकबा 0.85 है0 है। अप्रार्थी आये दिन बीच की डौल मेड को तोड देता है। इसलिए प्रार्थिया ने अपनी भूमि का दिनांक 8.6.23 को सीमाज्ञान भी करवा लिया। इसके लिए बाबजूद भी अप्रार्थी मान नही रहा है तथा आये दिन प्रार्थिया के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करता है। इसलिए प्रार्थिया को स्वयं की खातेदारी हाल ख0न0 969 रकबा 0.60 है0, ख0न0 970 रकबा 0.26 है0 ग्राम टटवाडा के मध्य स्थित पूर्व से पश्चिम डौल की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 190,170 ग्राम टटवाडा, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट टटवाडा दिनांक 8.6.2023, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि ख0न0 969 व 970 पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थिया द्वारा एक अन्य प्रकरण सुनीता बनाम रामस्वरूप वगैरा नियमित वाद संख्या 36 / 2024 व प्रार्थना पत्र टी.आई. 27 / 24 भी सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मे विचाराधीन है। जिसके निस्तारण से पूर्व हस्तगत प्रार्थना पत्र किसी भी दृष्टिकोण से संचलित योग्य न होकर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया द्वारा हस्तगत प्रकरण बराये बदयान्ति मिनजानिबदार अप्रार्थी को हैरान, परेशान करने की गरज से कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 971 के मध्य पूर्व से पश्चिम पत्थर की डौल करवाया जाना प्रार्थित किया है। जिसका प्रार्थिया का कोई हक व अधिकार नही है। इसके विपरित अप्रार्थी द्वारा अन्य प्रकरण उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रामस्वरूप बनाम समयसिंह वगैरा, नियमित वाद संख्या 38/24 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 29/24 माननीय सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी मे समक्ष विचाराधीन है। जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.24 को वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अंतरित निषेधाज्ञा भी जारी की गई है। ऐसी स्थिति मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र संचलित योग्य न होकर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सीधा सादा बुर्जुग खेतीहर ग्रामीण परिवेश का किसान है जो जैसे तैसे खेती कर अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र मे मिथ्या व विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये गये है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अपने जबाब के समर्थन मे अप्रार्थी ने नकल आदेशिका दिनांक 22.10.24 उनवानी रामस्वरूप बनाम समयसिंह वगैरा, नकल वादपत्र आदेशिका सुनीता बनाम रामस्वरूप वगैरा, नकल रामस्वरूप बनाम समयसिंह वगैरा, नकल फोटोकॉपी उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 12.6.23 प्रस्तुत किये है।

वकील उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थिया के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.06.2023 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उनकी भूमि ख0न0 969 रकबा 0.60 है0, ख0न0 970 रकबा 0.26 है0 ग्राम टटवाडा तह0 तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया को पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 969 रकबा 0.60 है0, ख0न0 970 रकबा 0.26 है0 ग्राम टटवाडा तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थिया को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 969 रकबा 0.60 है0, ख0न0 970 रकबा 0.26 है0 ग्राम टटवाडा तह0 तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार [illegible] तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)